



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गौवंश का हलाल करने के आरोपी इलियास को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा -

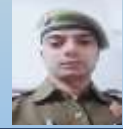


अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्त इलियास पुत्र नसीर निवासी बहादुरगढ़ थाना डैराकुटी जनपद हापुड़ द्वारा गौवंश का हलाल करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 259/2014 धारा 153/353/307/504/506 व 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इलियास को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिसके मा0 न्यायालय में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, आज दिनांक 06.12.2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त इलियास को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



गगन गौड
एडीजीसी



का0 योगेश कुमार
कोर्ट पैराकार



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत दिनांक 06.12.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 780/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गई मो0सा0 UP-17B-8785 पैंशन प्लस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.12.2025 को थाना बड़ौत पर वादी लोकेन्द्र पुत्र स्व0 श्री राजबीर सिंह निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मो0सा0 UP-17B-8785 पैंशन प्लस को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 780/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 780/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई मो0सा0 UP-17B-8785 पैंशन प्लस बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आँसू पुत्र महबूब निवासी ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री राकेश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री संजीव चौधरी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 59 विजयपाल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-का०1102 सुशांत थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 770/25 धारा 115(2)/351/ 74/64 बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 770/25 धारा 115(2)/351/74/64 बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार



किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

बिटटू पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है०का० 438कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-है०का० 738 अरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली दिनांक 06.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त/ वारंटी का नाम पता-

कल्लू उर्फ मनीष पुत्र नरेश निवासी कसबा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद
बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 87 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

